संख्या : 7/2016-1850/छप्पन-2015-47/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 21 जनवरी, 2016

विषय :राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्स0पी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 के लिए एफ0सी0यू0 एक्सचेंज के आधार पर नये इंसटालेशन किट क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 796/ना0उ0नि0/इंजी/ए-2-2015(पी), दिनांक 28-12-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय वायुयान हॉकर-900 एक्सपी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 के दाये इंजन के एफ0सी0यू0 के डेन से हल्की लीक आशंका को देखते हुए एफ0सी0यू0 तथा इसके इंसटालेशन किट को ए0ओ0जी0 के आधार पर शीघ्र क्रय किया जाना अतिआवश्यक है। इस सम्बन्ध में इंजन के मूल निर्माता मेसर्स हनीवेल, यू0एस0ए0 के द्वारा भारत में अधिकृत दो फार्मो मेसर्स मैगनम एविएशन प्रा0लि0, नोएडा तथा एयरवर्क्स इण्डिया प्रा0लि0, मुम्बई से कोटेशन प्राप्त किया गया। प्राप्त कोटेशनों के आधार पर मेसर्स मैगनम एविएशन प्रा0लि0, नोएडा की दर न्यूनतम पायी गयी है। न्यूनतम प्राप्त कोटेशन संख्या एमएजी/ जीओयूपी/050, दिनांक 21-12-2015 के अनुसार ओवरआल एक्सचेंज के आधार पर एक एफ0सीयू0 तथा दो नये इंसटालेशन किट का मूल्य यू0एस0 डालर 46,329.22 मात्र है, जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 68/- प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से रूपये 31,50,387.00 (रूपये इकत्तीस लाख पचास हजार तीन सौ सतासी) मात्र होता है की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः राज्यपाल महोदय वायुयान हॉकर-900 एक्सपी0 वी0टी0-यू0पी0एम0 के लिए एफ0सी0यू0 एक्सचेंज के आधार पर नये इंसटालेशन किट क्रय किये जाने एवं इस हेतु न्यूनतम दरदाता मैगनम एविएशन प्रा0लि0, नोएडा के कोटेशन के आधार पर इंगित पुर्जों को क्रय करने हेतु रूपये 31,50,387.00 (रूपये इकत्तीस लाख पचास हजार तीन सौ सतासी) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान बीजक के आधार पर निर्माता कम्पनी को बैंक के माध्यम से किया जायेगा।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- निर्माता फर्म से पुर्जो के प्राप्त होने पर स्वीकृत धनराशि का समायोजन तत्काल कर लिया जाय तथा समायोजन के पश्चात इसकी सूचना शासन को दी जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को तत्कालीन विनिमय दर से करने के पश्चात अधिशेष धनराशि मार्जिन मनी एकाउण्ट में जमा की जायेगी। आहरण/समायोजन में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अधीन लेखा शीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूजीगत-परिव्यय-आयोजनेत्तर -सामान्य-800-अन्य व्यय -04-हेलीकॉप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 के अशा0 संख्या- ई-7-37/दस-2016, दिनांक 19 जनवरी, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

पृ0सं0 : 7/2016-1850(1)/छप्पन-2015-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।